निर्णय वइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 180/2023 तारीख दायरा 13.01.2023

उनवान

प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासीग्राम चनावता तहसील सांगोद हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

वनाम

1. गोविन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी नये वस स्टेण्ड के पास देवली मांझी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. गायत्री पुत्री रामकिशन पत्नी श्यामविहारी जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम डूंगरपुर पोस्ट मोईकलॉ तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. भरोसीवाई पुत्री रामकिशन पत्नी राममुरारी जाति ब्राम्हण निवासी कोढिजा पोस्ट मायज तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनांक :– 25/7/2025

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील प्रतिवादी सं 1 व 3)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर व खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.23 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार 5/11 है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा कमशः 1/11, 1/11 है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने वादी व प्रतिवादी सं.1 जो कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के सगे भाई हैं, के पक्ष में स्नेहवश कई वर्षों पूर्व अपना हक छोड दिया था, तब से उक्त कृषि भूमियों में आपसी सहमति से वादी व प्रतिवादी न01 ही काश्त कर रहे हैं। वादी व प्रतिवादी सं.1 के मध्य हुई आपसी सहमति के मुताबिक वादी खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर कृषि भूमि में शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं.1 खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कृषि भूमि को मौके पर काश्त कर रहा है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 आपसी सहमति से उपरोक्तानुसार उक्त भूमि को काश्त करते आ रहे हैं।
- प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने उक्त भूमियों में वर्णित उनके हिस्से की भूमियों को स्नेह पूर्वक वादी व प्रतिवादी न0 1 के पक्ष में छोड दिया है, परन्तु राजस्व खाते में उनका नाम दर्ज होने की वजह से वादी को अपने हिस्से में आयी खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर कृषि भूमि में विकास कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पडता है। वादी ने उक्त कृषि भूमियों से प्रतिवादी न0 2 व 3 का नाम हटाने के लिए प्रतिवादी न0 4 से निवेदन किया तो उन्होनें भी प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम हटाने में असमर्थता जाहिर की, इसलिए वादी को उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है और यही इस वाद की विषय वस्तु है।
- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व कृषि भूमियों के विभाजन की डिक्री पारित की जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य हुए पारिवारिक विभाजन के फलस्वरूप वादी के हक व कब्जे में आयी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

ग्राम चनावता तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर कृषि भूमि को प्रथक से वादी के खाते में दर्ज किये जाने का कष्ट करे, उक्त खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित करने का कष्ट करे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के खाते में ग्राम चनावता तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कृषि भूमि को प्रथक से दर्ज की जावे तथा उक्त कृषि भूमियों से प्रतिवादी न0 2 व 3 का नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे। उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राजदुरस्त करने की कृपा करे।

- वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई । प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में व्यक्त किया गया कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा कभी भी अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग नहीं किया गया है तथा जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद फार्मल पक्षकार है।
- इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा हक त्याग करने का तथ्य मिथ्या बताया गया। वादी द्वारा हक त्याग के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाब वाद पत्र आदि के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण दिनांक 26.011.2024 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा माल ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर व खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.23 हेक्टर कृषि भूमि पर पक्षकारों की सहमति हो तो मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में

से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया गया।

- तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त पत्रावली बहस विभाजन प्रस्ताव में नियत की गई। किसी भी पक्षकार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वाद वादी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर व खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.23 हेक्टर कृषि भूमि पर पक्षकारों को विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

ग्राम	खातेदार एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा	लगान
चनावता	प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण हिस्सा संपूर्ण	257 पूर्वी	1.01 है.	27.27
	1 किता की 1.01 है. आराजी			

ग्राम	खातेदार एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा	लगान
चनावता	गोविन्द पुत्र रामकिशन हिस्सा 41/61, गायत्री पुत्री रामकिशन हिस्सा 10/61, भरोसीबाई पुत्री रामकिशन हिस्सा 10/61 जाति ब्राह्मण	257 पश्चिमी	0.13 है.	3.51
		452	1.09 है.	29.43
	2 किता की 1.22 है. आराजी			32.94

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी

पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 25/7/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलारा श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 13.01.2023

प्रकरण संख्या : 180/2023

उनवान

प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासीग्राम चनावता तहसील सांगोद हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी नये बस स्टेण्ड के पास देवली मांझी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. गायत्री पुत्री रामकिशन पत्नी श्यामबिहारी जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम डूंगरपुर पोस्ट गोईकलॉं तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. भरोसीबाई पुत्री रामकिशन पत्नी राममुरारी जाति ब्राम्हण निवासी कोढिजा पोस्ट मायज तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनांक :– 25/7/2025

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील प्रतिवादी सं 1 व 3)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद [illegible]

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुदई रूबरू श्री रमेश कुमार शर्मा मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा न0 257 की 1.14 हेक्टर व खसरा न0 452 की 1.09 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.23 हेक्टर कृषि भूमि पर पक्षकारों को विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

ग्राम	खातेदार एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा	लगान
चनावता	प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण हिस्सा संपूर्ण	257 पूर्वी	1.01 है.	27.27
	1 किता की 1.01 है. आराजी			

ग्राम	खातेदार एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा	लगान
चनावता	गोविन्द पुत्र रामकिशन हिस्सा 41/61, गायत्री पुत्री रामकिशन हिस्सा 10/61, भरोसीबाई पुत्री रामकिशन हिस्सा 10/61 जाति ब्राह्मण	257 पश्चिमी	0.13 है.	3.51
		452	1.09 है.	29.43
	2 किता की 1.22 है. आराजी			32.94

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** . .खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/7/2025 को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

सपना कुमारी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

.... बनाम ....

बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म
[illegible] 8.7.25	पत्रावली पेश। वकील पक्ष मौजूद। TDR पोर्टल से विभागीय प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, विभागीय प्रमाणपत्र वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है अतः पत्रावली वास्ते फाईनल आदेश दि 25.7.25 को पेश हो।	
25.7.25	पत्रावली पेश। वकील पक्ष मौजूद। TDR पोर्टल से प्राप्त विभागीय प्रमाणपत्र के अनुसार अब फाईल डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से पारित किया जाकर हस्ता. दिनां. किया गया, तदानुसार फाईल डिक्री जारी की गई। पत्रावली पूर्ण [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	